संख्या-31/2026/आई/1237336/006-89-1006(001)/1/2023

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनॉक: 13 फरवरी, 2026

विषय- अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में संचालित व्यवसायो के लिये एन0एस0क्यू0एफ0 पाठयक्रमों के अनुसार मशीनें, साज-सज्जा/उपकरण और संयत्र आदि के क्रय एवं स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/427824/2026/UPDTE/1/2026, दिनांक 21.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में राज्यपाल महोदया विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न व्यवसायों में एन0एस0क्यू0एफ0 पाठयक्रमों के अनुसार मशीनें और साज सज्जा/उपकरण और संयत्र के क्रय व स्थापना हेतु कुल धनराशि **रूपये 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र)** स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

धनराशि रूपये लाख में।

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	व्यवसाय का नाम	संस्थान द्वारा वांछित धनराशि	निदेशालय द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में संस्तुत की जा रही धनराशि
1	Government ITI, Manikpur, Chitrakoot	DMM	18.65	10.00	10.00
2	Government ITI, Manikpur, Chitrakoot	ELECTRICIAN	23.67	15.00	15.00
3	Government ITI, Manikpur,	PAINTER GENERAL	31.71	20.00	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	Chitrakoot				
4	Government ITI, Manikpur, Chitrakoot	REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN	25.07	15.00	15.00
5	Government ITI, Manikpur, Chitrakoot	WELDER	28.23	15.00	15.00
				योग	**75.00**

1. शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु आई०टी०आई० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 3/ 2017 / 1067 / 78-2-2017-42 आई0 टी0 / 17, दिनांक 12.05.2017 तथा शासनादेश संख्या-6/2018/256/78-2- 2018-42 आई0 टी0/17 टीसी, दिनांक 24.04.2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत सामग्री का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. मशीनों तथा साज-सज्जा, उपकरणों और संयंत्रों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स और इस सम्बंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार गठित क्रय समिति द्वारा अनुमोदित मानक तथा सूची के अनुसार ही किया जायेगा। क्रय किये गये मशीनों तथा साज-सज्जा/उपकरणों और संयंत्रों की प्रमाणित सूची एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र का क्रय भण्डार क्रय नियमों तथा एन० सी० वी० टी० द्वारा अद्यावधिक अनुमोदित लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।
5. मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्रों का क्रय मितव्ययता संबंधी अद्यावधिक शासनादेशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा।
6. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्यमद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्यमद में किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी० एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। शेष बची धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. जिस व्यवसाय हेतु साज-सज्जा/मशीनें और संयंत्र हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है, उसी व्यवसाय हेतु ही धनराशि व्यय की जायेगी।
10. प्रश्नगत सामग्रियों के क्रय में शासनादेश संख्या-साज-सज्जा, उपकरण, मशीन और संयंत्र को क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या- 04/आई / 460787 / 2025 / 89 - 1006 (001) / 1 / 2023, दिनांक 24.01.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4250007890400 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
खनवित्त नियंत्रक,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4. सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक)।
5. वित्त(व्यय -नियत्रण) अनुभाग-11, वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश,125 जवाहर भवन,लखनऊ।
7. क्रय अनुभाग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2।
9. संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक)।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।